

सरकारी और नजीब संस्थाओं में नैतिक चतिएँ एवं दुवधिएँ

प्रलिमिस के लिये:

जवाबदेही, गोपनीयता की शपथ, भरष्टाचार, रशिवतखोरी, नवाचार, अनुचित रोजगार प्रथाएँ, भ्रामक विज्ञापन, वित्तीय रपिरेटगि, निविशक वशिवास, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रतसिप्रधा-वरिधी प्रथाएँ, सुशासन

मेन्स के लिये:

सरकारी और नजीब संस्थाओं में नैतिक चतिएँ एवं दुवधिएँ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रबंधन।

नैतिक चतिएँ और दुवधिएँ क्या हैं?

- **नैतिक चतिएँ** को ऐसी स्थितियों के रूप में परभिषित किया जाता है जिसमें कार्यस्थल पर नैतिक संघर्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार नैतिक मुद्दे समाज के सदिधांतों में हस्तक्षेप करते हैं।
 - वे इस बात से चतिति हैं कि किया सही है और क्या गलत, अच्छा है या बुरा है तथा हम उस जानकारी का उपयोग वास्तविक वशिव में अपने कारणों को तय करने के लिये कैसे करते हैं।
 - कार्यस्थल में नैतिक चतिएँ के उदाहरणों में सहानुभूतपूरण नियम लेना, वशिवास और अखंडता के संबंध में आचरण को बढ़ावा देना तथा विविधिता को समायोजिति करना शामिल है।
 - नैतिक दुवधिएँ को एक ऐसी परस्थितिके रूप में वरणति किया जा सकता है जिसमें किसी अवांछनीय या उलझन भरी स्थितिमें सदिधांतों के प्रतसिप्रधी समूहों के बीच चुनाव करना आवश्यक होता है।
 - किसी स्थितिको नैतिक दुवधि मानने के लिये तीन स्थितियाँ मौजूद होनी चाहिये।
 - नैतिक दुवधियों की पहली स्थितितिव होती है जब किसी व्यक्तिया "एजेंट" को कार्रवाई का सरवोत्तम मार्ग चुनना होता है।
 - नैतिक दुवधियों के लिये दूसरी स्थितियों यह है कि चुनने के लिये आचरण की कई पद्धतियाँ हों।
 - **तीसरा**, नैतिक दुवधियों में चाहे कोई भी पद्धतिअपनाई जाए, किसी न किसी नैतिक सदिधांत से समझौता करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका कोई आदरश समाधान नहीं है।
 - नैतिक दुवधिएँ के प्रकार:
 - **व्यक्तिगत लागत नैतिक दुवधिएँ**: यह दुवधि उन स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिनमें नैतिक आचरण के अनुपालन के परणिमस्वरूप लोक सेवक-नियमकरता और/या एजेंसी को महतवपूर्ण व्यक्तिगत लागत (जैसे, धारति पद को खतरे में डालना, वित्तीय या भौतिक लाभ के अवसर को खोना, मूलयवान संबंध को नुकसान पहुँचाना आदि) उठानी पड़ती है।
 - **दक्षणियं बनाम दक्षणियं नैतिक दुवधिएँ**: यह दुवधि दो या दो से अधिक वास्तविक नैतिक मूल्यों के प्रत्यक्ष वरिधी समूहों की स्थितियों से उत्पन्न होती है (उदाहरण के लिये, नागरिकों के प्रति खुला और जवाबदेह होने की लोक सेवकों की ज़मिमेदारी बनाम गोपनीयता की शपथ का पालन करना आदि)।
 - **संयुक्त नैतिक दुवधिएँ**: यह दुवधि उन स्थितियों से उत्पन्न होती है, जिसमें एक करतव्यनाष्ठ लोक सेवक नियमकरता "सही कार्य" की खोज में उपर्युक्त नैतिक दुवधियों के संयोजन के संपर्क में आता है।
- **सरकारी संस्थाओं में नैतिक चतिएँ**:
 - सत्ता का दुरपयोग: मनमाने या दमनकारी तरीके से सत्ता का प्रयोग करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर कर सकता है। यह राज्य या कुछ नागरिकों के हातों को नुकसान पहुँचाता है।
 - उदासीन रवैया: अधिकारी नियम लेने में अनिच्छा और व्यावसायिकता का अभाव दर्खिते हैं, हालाँकि उनसे कुछ मानकों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
 - भरष्टाचार और रशिवतखोरी: भरष्टाचार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किया जाने वाला बेईमानी भरा व्यवहार है। इसमें रशिवत देना या लेना या अनुचित उपहार देना या लेना जैसी कई तरह की गतविधियाँ शामिल हैं, जो सरकारी प्रक्रियाओं की निषिपक्षता और अखंडता को कमज़ोर करती हैं।
 - असपष्ट रवैया: यह ज़मिमेदारियों और कठनि नियमों से बचने की प्रवृत्ति है। इससे अत्यधिक कागजी कार्यवाही और प्रक्रियागत देरी की संस्कृताको बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अधिकारी कार्यवाही को टालने के लिये इनका औचित्य बता सकते हैं।
 - सेवानवित्तता के बाद लाभ: सेवानवित्तता के बाद प्रयोगत लाभ की संभावना के कारण कुछ सविलि सेवक अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्टता या नवाचार प्राप्त करने की अपेक्षा लाभ सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं।

- **सार्वजनिक निधियों का कुप्रबंधन:** कसी व्यक्तिद्वारा कसी अन्य व्यक्तिया संगठन के लयि धन का प्रबंधन करते समय नियमों या दशा-नियें का पालन न करना। हालाँकि उसके पास धन तक वैध पहुँच थी, लेकिन इसका नजी लाभ या कसी अन्य अस्वीकृत उद्देश्य के लयि उपयोग कया जाना अपराध है।
- **नजी संस्थानों में नैतकि चतिआँ:**
 - **अनुचित रोजगार व्यवहार:** वे नियोक्ताओं या कर्मचारियों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लयि कयि जाने वाले कपटपूरण व्यवहार हैं, जो कि कानून द्वारा निषिद्ध हैं, जैसे भेदभाव, कर्मचारी अधिकारों में हस्तक्षेप, अनुचित नलिंबन आदि।
 - **भ्रामक वजिज्ञापन:** इसमें अतिशयोक्तपूरण दावों से लेकर स्पष्ट झूठ तक शामलि होते हैं, जो उपभोक्ता विश्वास और वजिज्ञापन उदयोग की अखंडता के लयि गंभीर चूनौती उत्पन्न करते हैं।
 - **दोषपूरण ऑडिट:** यह कई कारणों से हो सकता है जैसे अपराप्त या अपूरण ऑडिट प्रक्रयाएँ, व्यवसाय की समझ का अभाव, धोखाधड़ीपूरण वतितीय रपिरेटिंग या आंतरकि नियंत्रणों का प्रबंधन द्वारा उल्लंघन। इससे इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच देना सकता है, नियामक दंड और कानूनी देनदारियाँ हो सकती हैं।
 - **इनसाइडर ट्रेडिंग:** इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कसी कंपनी की प्रतिभूतियों का गोपनीय, अप्रकाशित जानकारी का उपयोग करके लाभ कमाने या नुकसान से बचने के लयि व्यापार करना। यह कंपनी के अधिकारियों के प्रतियोगी कर्तव्यों का उल्लंघन करता है।
 - **प्रतिस्परदधा वरिधी व्यवहार:** एक ही उदयोग में वभिन्न कंपनियाँ अपने उत्पादों की कीमतें एक ही तरीके से बढ़ाने के लयि गुप्त रूप से सहमत होती हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जो बाजार और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाती है। यह मुक्त बाजार में स्वस्थ प्रतिस्परदधा को बाधति करता है।
 - **प्रभाव पेडलिंग:** लॉबी का गठन अधिकारियों को इस प्रकार कार्य करने के लयि प्रभावति करने हेतु कयि जाता है, जोउदयोग के सरवोत्तम हतियों के लयि लाभकारी हो, या तो अनुकूल कानून के माध्यम से या प्रतिकूल उपायों को अवशुद्ध करके। वे लोकतांत्रकि प्रक्रयाको दरकनिकर करने में सक्षम प्रतीत होते हैं।
- **सरकारी संस्थाओं में नैतकि दुवधिआँ:**
 - **व्यावसायकि कर्तव्य बनाम स्वयं के व्यक्तिगत मूल्य:** व्यावसायकि कर्तव्य और कसी व्यक्तिके स्वयं के व्यक्तिगत मूल्य आपस में टकरा सकते हैं तथा नैतकि दुवधि उत्पन्न कर सकते हैं, उदाहरण के लयि एक पुलसि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह मान सकता है कि जिसि कानून को लागू करने की उसे आवश्यकता है, वह गलत है।
 - **गुमनामी बनाम पारदर्शता:** मूलतः पारदर्शता जवाबदेह प्रतिनिधिसिरकार की एक अनियार्य विशेषता है, लेकिन साथ हीनौकरशाह को प्रेस और मीडिया से संवेदनशील जानकारी गुप्त रखनी होती है।
 - **नियम अनुपालन बनाम रचनात्मकता:** लोक सेवक स्थापति कानूनी और वनियामक ढाँचे के भीतर काम करते हैं जो जनता का भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। हालाँकि आधुनिक दुनिया में सार्वजनिक सेवा के लयि नए विचारों की आवश्यकता होती है जो पारंपरकि सीमाओं को पार करते हैं और नए दृष्टिकोण तलाशते हैं।
 - **कठोरता बनाम लचीलापन:** भारतीय नौकरशाही कई स्तरों और प्रक्रयाओं के साथ एक कठोर पदानुक्रम का पालन करती है। लेकिन तकनीकी प्रविरतन की तेज गतिके लयि सार्वजनिक सेवाओं को दक्षता तथा सेवा वितरण में सुधार हेतु नए उपकरण, सिस्टम एवं प्रक्रयाओं को अपनाने में लचीला होना चाहयि।
 - **नजी जीवन बनाम सार्वजनिक जीवन:** सार्वजनिक हस्तियों सहति व्यक्तियों को अपने नजी जीवन के कुछ पहलुओं, जैसेपारिवारिकि मामले, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों को नजी रखने का अधिकार है। हालाँकि सार्वजनिक हस्तियों से अक्सर अपने कार्यों और नियन्यों के बारे में पारदर्शी रहने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनका व्यवहार जनता के विश्वास और भरोसे को प्रभावति कर सकता है।
- **नजी संस्थानों में नैतकि दुवधिआँ:**
 - **डेटा गोपनीयता बनाम डेटा प्रोसेसिंग:** ग्राहकों को पता होना चाहयि कि उनका डेटा कब और क्यों एकत्र कयि जा रहा है औस्त्यवसायों से अपेक्षा करनी चाहयि कि वे उपयोगकरता की जानकारी को अनधिकृत पहुँच से बचाएँ। जबकि प्रभावति डेटा प्रोसेसिंग व्यवसायों के लयि कई लाभ प्रदान करती है, जिससे उन्हें सूचति नियन्य लेने, संचालन को अनुकूलति करने तथा ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलती है।
 - **कर्मचारी संतुष्टिबनाम कॉरपोरेट लक्ष्य:** कर्मचारी संतुष्टिओं और **कॉरपोरेट लक्ष्यों** के बीच संघर्ष अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यावसायकि प्रदर्शन को अधिकतम करने के लक्ष्य, कर्मचारियों की भलाई और मनोबल के साथ टकराते हैं। उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लयि अक्सर कर्मचारियों को तंग समय सीमा को पूरा करने, भारी कार्यभार संभालने और उत्पादकता बढ़ाने के लयि प्रेरित करना पड़ता है।
 - **टकिाऊ खरीद बनाम लागत दक्षता:** टकिाऊ और नैतकि आपूरतिकरताओं से सामग्री और सेवाएँ प्राप्त करने में अधिकि महंगी प्रथाओं, प्रमाणन या परीमियम उत्पादों के कारण उच्च लागत शामलि हो सकती है। लागत दक्षता को प्राथमिकता देने से वहनीय, कम टकिाऊ वकिलों को चुनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
 - **सुशासन बनाम लाभ अधिकतमीकरण:** **सुशासन** दीर्घकालकि स्थरिता, हतिधारकों के हतियों और नैतकि प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ऐसे निवेश शामलि हो सकते हैं जो तत्काल वित्तीय लाभ नहीं देते हैं। लाभ अधिकतमीकरण खामियों का फायदा उठाकर तत्काल वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देता है।
 - **समावेशता बनाम दक्षता:** समावेशता सहयोग, नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है, जिससे एक अधिकि उत्पादक और एकजुट टीम बनती है। दक्षता उच्च प्रदर्शन की संस्कृतिको प्राथमिकता देसकती है एवं प्रणाली समावेशता की उपेक्षा कर सकते हैं।
- **नैतकि चतिआँ और दुवधिआँ का समाधान:**
 - **दीर्घकालकि स्व-हति का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो आपके संगठन के दीर्घकालकि स्व-हति में न हो।
 - **व्यक्तिगत सदगुण का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कुछ न करना जो ईमानदार और सच्चा न हो।
 - **धार्मकि आदेश का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना, जो दयालु न हो तथा जिससे सामुदायकि भावना का नरिमाण न हो।
 - **सरकारी आवश्यकताओं का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो कानून का उल्लंघन करता हो, क्योंकि कानून न्यूनतम नैतकि मानक का प्रतिनिधित्व करता है।
 - **उपयोगतिवादी लाभ का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो जिससे समाज का अधिकि भला न हो।
 - **व्यक्तिगत अधिकारों का सदिधांत:** कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जो दूसरों के सहमत अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

नषिकरण

सरकारी और नज़ी संस्थानों में नैतिक चतिआओं से नपिटने में करमचारी संतुष्टि, कॉर्पोरेट लक्ष्य तथा परचिलन प्रभावशीलता के बीच संतुलन बनाना शामलि है। सरकार की दुवधिएँ पारदर्शनाता, जवाबदेही एवं सार्वजनिक करतव्य तथा व्यक्तिगत हतिओं के बीच संघरण पर केंद्रति हैं। नज़ी संस्थाओं को लाभ व सामाजिक उत्तरदायतिव, करमचारियों के साथ उचित व्यवहार तथा उपभोक्ता गोपनीयता के बीच सामंजस्य स्थापति करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों के समाधान के लिये नैतिक सदिधांतों, सुदृढ़ शासन तथा पारदर्शनाता एवं समावेशता की संस्कृति के प्रतिप्रतिबिद्धता की आवश्यकता है। नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और जवाबदेही बनाए रखकर, संस्थाएँ अपनी प्रतिष्ठित बढ़ा सकती हैं, विश्वास का नरिमाण कर सकती हैं, तथा दीर्घकालिक नैतिक मूलयों के साथ अल्पकालिक कार्यों को संरेखित करते हुए एक स्थायी भविष्य का समर्थन कर सकती हैं।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ethical-concerns-and-dilemmas-in-government-and-private-institutions>

